

मध्यप्रदेश शासन
आयुष विभाग,
वल्लभ भवन क्रमांक-3, चतुर्थ तल
मंत्रालय भोपाल

// आदेश //

भोपाल दिनांक 12 / 03 / 2020

क्रमांक/741 / 937 / 2020 / 1 / 59 : राज्य शासन द्वारा समयमान वेतनमान के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक दिनांक 03.2020 में समिति द्वारा की गई अनुशासा के अनुक्रम में डॉ० बृजमोहन सिंह परमार, सेवानिवृत्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला भोपाल को उनके नाम के सम्मुख कॉलम (3) में उल्लिखित द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान कॉलम (4) में अंकित दिनांक से स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.	नाम/पदनाम/जिला	समयमान वेतनमान प्रथम/द्वितीय/तृतीय विचार हेतु पात्रता दिनांक/वेतनमान	दिनांक जिससे समयमान वेतनमान हेतु उपयुक्त होकर देय है।
1	2	3	4
1	डॉ० बृजमोहन सिंह परमार आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला भोपाल (सेवानिवृत्त 31.12.2016)	(द्वितीय कार्यान्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)	01.04.2006

2/- कार्यालय प्रमुख द्वारा समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के पूर्व निम्न विन्दुओं के संबंध में संबंधित अधिकारी की सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत अभिलेख से पुष्टि कर ली जाए :-

- 2.1 संबंधित अधिकारी को प्रारम्भिक 08/16 वर्ष की सेवा अवधि प्रथम/द्वितीय समयमान वेतनमान की स्वीकृत की तिथि से 08/16 वर्ष पूर्व के सेवाकाल में यदि कोई अकार्य दिवस घोषित किया गया हो तो समयमान वेतनमान का लाभ देते समय इस अवधि को गणना में शामिल न किया जाय।
- 2.2 यदि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच चल रही हो तो समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जावे।
- 2.3 समयमान वेतनमान का लाभ मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 24/09/2008 के परिप्रेक्ष्य में परिपत्र क्रमांक-एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 07.11.2009 के अनुसार किया जावे।

3/ उपरोक्त वेतन निर्धारण में शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित किया जावे। इस आदेश के द्वारा स्वीकृत समयमान वेतनमान संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा अनुमोदन पश्चात ही देय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(कलावती उईके)

अवर सचिव

म. प्र. शासन, आयुष विभाग

भोपाल, दिनांक 12/03/2020

पृष्ठा0 क्रमांक 742 /937 /2020 /1 /59
प्रतिलिपि:-

- 1- आयुक्त, संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 - 2- संबंधित संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन भोपाल संभाग भोपाल।
 - 3- उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल की ओर आदेश को विभागीय बेवसाइड पर प्रदशित करने हेतु।
 - 4- संभागीय आयुष अधिकारी, भोपाल संभाग भोपाल।
 - 5- जिला आयुष अधिकारी भोपाल।
 - 6- डॉ0 बृजमोहन सिंह परमार, सेवानिवृत्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, द्वारा- जिला आयुष अधिकारी जिला भोपाल की ओर आदेश की प्रति संबंधित के पते पर तामील कराने हेतु।
 - 7- आदेश फाइल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग